BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 627 OF 2022

IN THE MATTER OF

PRAKASH YADAV **...APPLICANT**

VERSUS

STATE OF HARYANA & Ors. **...RESPONDENTS**

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply/Response on behalf of Applicant	2 - 4
2.	Annexure R-1: Copy of the news report and recent photographs showing no improvement in water quality.	5 - 6
3	Annexure R-2: Copies of the news reports showing polluted wastewater discharge affecting agricultural land and crops.	7 - 11
4.	Annexure R-3: Copy of letter issued by the Office of Engineer in Chief, Haryana irrigation and Water Resources Department regarding flooding situation.	12

Through

Sanjaya Kumar Mishra, Advocate
Counsel for the Applicant
NCR Contact: 115, Sagar Enclave, Sector 104
Gurugram 122006
Contact No. 9818326647
Email: sanjayakmishra@hotmail.com

Place: Gurugram
Dated 05.07.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 627 OF 2022

IN THE MATTER OF:

PRAKASH YADAV …APPLICANT

VERSUS

STATE OF HARYANA & Ors. …RESPONDENTS

Reply/Response on behalf of Applicant

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. That the present reply is being filed in compliance with the Order dated 26.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.
2. That as per the reply dated 09.11.2024 (at Page No. 800, Paragraph No. 4) submitted by the Executive Engineer, Public Health Engineering Division No. 1, Rewari, untreated industrial effluents from approximately 147 industrial units are being discharged into domestic sewage systems. This has resulted in an alarming situation at the Sewage Treatment Plants (STPs), which are designed exclusively for the treatment of domestic sewage.
3. It was also submitted in the said reply that, to the knowledge of the Public Health Engineering Department (PHED), Rewari, no action has been taken by the Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) against the said industrial units.
4. Despite the matter being *sub judice*, there is no visible improvement in the quality of water, as evidenced by recent photographs. A news report published in *Dainik Jagran*, Rewari edition, dated 05.07.2025, indicates that electricity supply to seven illegal

industrial units was disconnected but was restored within 24 hours. The Applicant, therefore, **humbly prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to direct the Respondents to recover environmental compensation and initiate punitive action** as per law **within a specific timeframe, so as to deter further violations**. The Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) in its report dated 16.07.2024 submitted before this Hon'ble Tribunal (at Page No. 677) has stated about imposition of Environmental Compensation, however, despite a lapse of almost one year, they have not reported the status of recovery of Environmental Compensation.

(Photographs showing water quality and copy of the news report annexed as Annexure R-1).

5. News reports dated 09.03.2025, 04.06.2025, 05.06.2025 (World Environment Day), and 24.06.2025 clearly establish that the **continuous discharge of wastewater into the barrage is encroaching upon private and agricultural lands and adversely affecting crops.** It is therefore imperative to halt the discharge of wastewater—even after treatment—from the STPs with immediate effect. The Applicant seeks appropriate directions from this Hon'ble Tribunal to the Respondents in this regard.

(Copies of the news reports annexed as Annexure R-2).

6. A letter dated 01.05.2024 issued by the Office of the Engineer-in-Chief, Haryana Irrigation and Water Resources Department, Panchkula, affirms that excess water being discharged into the barrage is causing flooding. This further substantiates the Applicant's concerns.

(Copy of the letter annexed as Annexure R-3).

7. The Applicant, therefore, respectfully prays that this **Hon'ble Tribunal may be pleased to direct the Respondents to immediately cease the release of any kind of sewage—including treated wastewater—into the barrage. Only canal water may be permitted for release.** This direction is critical to prevent flooding and control pollution caused by the discharge of highly contaminated sewage.

8. The Applicant also humbly submits that this Hon'ble Tribunal may kindly direct the State Respondents to ensure a higher degree of **transparency in the process of water sample collection and testing** by:

   a. Enclosing geo-tagged sampling locations,

   b. Clearly mentioning the date and time of sample collection,

   c. Disclosing the names and designations of technical personnel involved,

   d. Ensuring that analysis is carried out only by CPCB-recognized or Government-approved analysts.

AND FOR THIS ACT OF KINDNESS, THE APPLICANT AS IN DUTY BOUND SHALL EVER PRAY.

Parkash Yadav

Applicant

Through

Sanjaya Kumar Mishra

Sanjaya Kumar Mishra, Advocate
Counsel for the Applicant
NCR Contact: 115, Sagar Enclave, Sector 104
Gurugram 122006
Contact No. 9818326647
Email: sanjayakmishra@hotmail.com

Place: Gurugram
Dated 05.07.2025

907

Annexure R-1

Photographic Evidence Showing Current Water Pollution Scenario

...able only through the college campus and fee will be deposited in ...nline mode. (Netbanking/PhonePe/GooglePay, NEFT/RTGS/DD) ...ted through any consultant/Sunderpal (Monu).
Admission open for D.EL.Ed., B.Ed., M.Ed.
SC/ST ADMISSION Fee Free
BUS FACILITY AROUND 20KM FROM CAMPUS
SC/ST ADMISSION Fee Free

सात अवैध फैक्ट्रियों के काटे कनेक्शन, निगम ने 24 घंटे में ही दोबारा जोड़े

किसके आदेश पर दोबारा जोड़े गए बिजली कनेक्शन यह एक्सइएन और एसई तक को भी नहीं है पता

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: शहर के नसियाजी रोड पर अवैध तरीके से संचालित की जा रही फैक्ट्रियों पर बृहस्पतिवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस के बाद बिजली निगम की तरफ से कार्रवाई की गई। बिजली निगम ने सात फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन काट दिए। हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे के अंदर ही निगम ने इन कनेक्शन को फिर से जोड़ दिया। इसको लेकर निगम के एक्सईएन से लेकर एसई से संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है। जेई से बात करने पर पता चला कि एसडीओ के आदेश पर बिजली कनेक्शन जोड़ा गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन फैक्ट्रियों को अवैध करार देकर बिजली कनेक्शन काटने को लेकर पत्र भेज चुका है तो आखिर यह कनेक्शन दोबारा किसके दबाव में जोड़े गए।

दरअसल, नसियाजी रोड पर 50 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं। इन फैक्ट्रियों में बर्तन बनाने का काम होता है। तीन दशक से ज्यादा पुरानी यह फैक्ट्रियां आबादी से घिरी हुई हैं। जिसको लेकर बार-बार सवाल भी उठते रहे हैं। प्रदूषण बोर्ड की तरफ से इन्हें अवैध करार दिया जा चुका है। बाकायदा फैक्ट्री संचालकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से क्लोजर नोटिस भी दिया गया। जिसके तहत बिजली निगम को बिजली कनेक्शन काटने के लिए पत्र लिखा गया, ताकि ये फैक्ट्रियां संचालित न हो सकें। इसी के तहत बृहस्पतिवार को बिजली निगम की तरफ से सात फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन काटे गए। इसके बाद तमाम फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही कनेक्शन को दोबारा जोड़ना एक बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। बिजली निगम के एसडीओ सिटी-2 जतिन से काफी बार काल कर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया।

बृहस्पतिवार को बिजली निगम की तरफ से की गई थी कार्रवाई

50 से ज्यादा फैक्ट्रियां तीन दशक से संचालित की जा रही हैं शहरी आबादी से घिरे नसियाजी रोड पर

नसियाजी रोड पर संचालित एक फैक्ट्री • जागरण

> नसियाजी रोड पर संचालित फैक्ट्रियों को काफी पहले ही क्लोजर नोटिस दिया हुआ है। इसको लेकर बिजली निगम को फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन काटने के लिए पत्र लिखा गया था। बिजली कनेक्शन काटे या नहीं यह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यह फैक्ट्रियां अवैध तरीके से संचालित हैं। –दीपक शर्मा, एसडीओ, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

> नसियाजी रोड पर फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन काटने और 24 घंटे के अंदर ही दोबारा जोड़ने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। –पीके चौहान, अधीक्षण अभियंता, बिजली वितरण निगम

रिहायशी एरिया से घिरी हैं फैक्ट्रियां: नसियाजी रोड तीन दशक पहले जरूर शहर का बाहरी एरिया था। लेकिन अब यहां काफी मोहल्ले और कालोनियां बन चुकी हैं, जिनमें हजारों लोग रहते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि इन फैक्ट्री संचालकों के पास किसी भी विभाग की एनओसी नहीं है। इन्हें काफी बार नोटिस दिया गया। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से लोग काफी परेशान होते हैं।

उपभोक्ता आयोग का आदेश, बुजुर्ग का जुड़ेगा कनेक्शन

संस, जागरण • धारूहेड़ा: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश पर अब गांव खलियावास के रहने वाले बुजुर्ग भीम सिंह का बिजली कनेक्शन निगम की ओर से जोड़ा जाएगा। बिजली के अभाव में बुजुर्ग कई महीनों से भीषण गर्मी में बिना बिजली व्यवस्था के रह रहे थे।

बता दें कि 75 वर्षीय भीम सिंह व उनकी पत्नी दोनों वृद्धजन हैं। उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, दोनों का जीवनयापन वृद्धा पेंशन से चलता है। लगभग 10 वर्ष पहले पीड़ित के परिवार की हालत दयनीय हो गई, जिस कारण वह बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाया। इसके चलते बिजली निगम ने बिजली कनेक्शन को हटा दिया था। 15 मई 2025 को पीड़ित भीम सिंह ने बिजली विभाग द्वारा कहे अनुसार बकाया बिल का भुगतान कर दिया, लेकिन निगम ने बिजली कनेक्शन नहीं किया। कनेक्शन के लिए कहा तो बिजली निगम ने दूसरी शर्त जोड़ दी कि आपकी पुत्रवधू ने एक बिजली कनेक्शन लिया हुआ था उसके बिल का बकाया है जब तक आपकी पुत्रवधू अपने बिल का भुगतान नहीं करेगी तब तक आपके घर का बिजली कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा। बुजुर्ग ने कहा कि पहले तो निगम की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी। बावजूद इसके निगम ने कनेक्शन चालू नहीं किया। अधिवक्ता कैलाश चंद ने इसको लेकर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में केस दायर किया था। आयोग ने अब निगम को तुरंत प्रभाव से बुजुर्ग के घर का बिजली कनेक्शन जोड़ने के आदेश दिए हैं।

Annexure R-2

दैनिक भास्कर रेवाड़ी भास्कर 09-03-2025

सहाबी बैराज में भरा पानी बदबूदार होने की वजह से वायु प्रदूषण का कारण भी बना हुआ है

साहबी नदी का प्रदूषित पानी ग्रामीणों के लिए मुसीबत, खलियावास के खेत और रास्ते डूबे

प्रकाश यादव | धारूहेड़ा

रेवाड़ी जिले के विभिन्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से साहबी बैराज मसानी में छोड़ा जाने वाला प्रदूषित पानी अब आसपास के गांवों के लिए भी गंभीर समस्या बनता जा रहा है। बीते कई दिनों से साहबी बैराज से ओवरफ्लो होकर यह प्रदूषित पानी गांव खलियावास के रास्तों और खेतों में भर रहा है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है।

गांव खलियावास के ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जिला उपायुक्त, विधायक लक्ष्मण यादव समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। पानी का स्तर लगातार बढ़ने से गांव खलियावास के खेतों में फसलें डूब चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, खलियावास से तितरपुर और मसानी गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी पानी में डूबा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदूषित पानी से फसल और मिट्टी की उर्वरता पर असर :

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिए गए सैंपल में यह साबित हो चुका है कि यह पानी अत्यधिक प्रदूषित और हानिकारक है। इस पर बोर्ड द्वारा पहले ही संबंधित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके बावजूद प्रदूषित पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है, जिससे खेतों की उपजाऊ क्षमता पर गंभीर असर पड़ रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि साहबी बैराज से निकलने वाले प्रदूषित पानी का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि या तो इस पानी को ट्रीट करके छोड़ा जाए या फिर इसे किसी सुरक्षित स्थान पर डायवर्ट किया जाए ताकि किसानों और ग्रामीणों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

वर्षों से सिंचाई विभाग की भूमि पर छोड़ा जा रहा है सीवरेज का दूषित पानी

दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास खलियावास गांव में स्थित साहबी बैराज की सैकड़ों एकड़ भूमि हरियाणा सिंचाई विभाग के अधीन है। इस भूमि पर रेवाड़ी जिले के लगभग 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रदूषित पानी डाला जा रहा है, जिससे यह भूमि पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग द्वारा अतिरिक्त पानी को बांध से निकालकर आसपास की भूमि पर छोड़ा जा रहा है, जिससे खलियावास सहित आसपास के गांवों में पानी भर रहा है।

एनजीटी में पेश की गई रिपोर्ट

मुख्य सचिव द्वारा 31 जुलाई को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिए गए जवाब में नायब तहसीलदार धारूहेड़ा की रिपोर्ट भी संलग्न की गई थी। इस रिपोर्ट में पुराने नदी रिकॉर्ड की पुष्टि की गई है, जिसमें बताया गया है कि गांव जड्थल, खलियावास, असदपुर, सुनारिया और ततारपुर इस्तमुरार आदि में साहबी नदी, कृष्णावती नदी और दोहन नदी 1957, 1964 और 1977 तक बहती थीं। ये सभी निजी स्वामित्व वाली भूमि हैं। ऐसे में सरकार और सिंचाई विभाग इस बात से भली-भांति परिचित है कि अगर साहबी बैराज का अतिरिक्त पानी इन क्षेत्रों में छोड़ा जाता है तो यह निजी कृषि भूमि को प्रभावित करेगा जो अब गांव खलियावास के खेतों व रास्तों तक पहुंच कर परेशानी का कारण बनने लगा है।

हाइवे से रोजाना गुजरते हैं हजारों वाहन

दिल्ली- जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने साहबी बैराज से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में जब साहबी बैराज पुल पर से निकला जाता है तो बैराज में भरे खड़े प्रदूषित पानी की गंभीर बदबू महसूस की जाती है। यह पानी जलवायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बना हुआ है।

दैनिक भास्कर

रेवाड़ी भास्कर 04-06-2025

प्रदूषित पानी बना आफत • सिंचाई विभाग हर वर्ष गांवों की तरफ छोड़ रहा प्रदूषित पानी

साहबी बैराज से छोड़ा पानी, खलियावास में फसलें डूबीं

प्रकाशयादव | धारूहेड़ा

दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित साहबी बैराज में रेवाड़ी जिले के विभिन्न सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से छोड़ा जा रहा प्रदूषित पानी अब गांव खलियावास और आसपास के इलाकों के लिए आफत बन गया है। गांववासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बैराज से भारी मात्रा में छोड़े गए इस गंदे पानी ने गांव खलियावास के खेतों और राजस्व रास्तों को जलमग्न कर दिया है। इससे गांव तितरपुर और मसानी की ओर जाने वाले रास्ते भी बाधित हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

गांव खलियावास के किसान नवल सिंह ने बताया कि उसके खेतों के अलावा आसपास के किसानों की बाजरे की फसलें और पशुओं के चारे की फसलें भी पानी में डूब चुकी हैं। खेतों में बनी कोठरी और ट्यूबवेल भी इस पानी की वजह से डूब गए हैं, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है। उन्होंने प्रशासन से इस गंभीर समस्या के समाधान और मुआवजे की मांग की है। स्थानीय निवासी और ब्लॉक समिति सदस्य धीरज यादव, एडवोकेट दयाकिशन खोला, राहुल यादव, मोतीलाल, पवन यादव, नरेंद्र और राजेश कुमार ने बताया कि साहबी बैराज में रेवाड़ी के करीब 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का गंदा पानी वर्षों से डाला जा रहा है। यह पानी अब साहबी बैराज की बाउंड्री को तोड़कर गांव खलियावास के खेतों में भरने लगा है।

ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग ने बैराज की दीवार तोड़ दी, जिससे गांव खलियावास के तीनों दिशाओं में गंदा पानी भर गया है। इससे गांवों में पीने का पानी भी दूषित हो गया है और महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बैराज की तोड़ी गई दीवार को जल्द से जल्द ठीक करने और इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में यह गांव खलियावास और आसपास के गांवों के लिए और भी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि 15 मई 2023 को भी इस मुद्दे पर जिला उपायुक्त को ज्ञापन देकर समाधान की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

एनजीटी की सख्ती के बावजूद नहीं हो रहा सुधार

गांव खरखड़ा निवासी जागरूक युवक द्वारा एनजीटी कोर्ट दिल्ली में अपील दायर कर प्रदूषित पानी के समाधान को लेकर पैरवी की जा रही है। इस पर हरियाणा सरकार के साथ ही दिल्ली व राजस्थान सरकार को भी कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर साहबी को प्रदूषण व अतिक्रमण से बचाए जाने को लेकर जवाब मांग रखा है। इसी बीच इस तरह से साहबी का प्रदूषित पानी अगर आस-पास के गांव भरना शुरू होगा तो यह समस्या और भी गंभीर होने के साथ ही हरियाणा सरकार व स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी गम्भीर हो जाएगी। गौरतलब है की साहबी बैराज मे भरा हुआ पानी पूरी तरह से प्रदूषित है जब भी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस पानी का सैंपल लिया गया है तो यह तय मानकों से कई गुना ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। उसके बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा इस प्रदूषित पानी को बैराज से बाहर छोड़ना एनजीटी के आदेशों की अवहेलना है।

प्रशासनिक आदेश भी किसानों के लिए बने मुसीबत

हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीक्षक अभियंता द्वारा 1 मई 2024 को जारी पत्र के अनुसार मसानी बैराज पूरी तरह से भर चुका है। मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को बैराज से तुरंत अतिरिक्त पानी छोड़ने के आदेश दिए गए। इसी तरह से वर्ष 2025 में भी सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेश के तहत साहबी बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये पानी अब सरकारी भूमि के बजाय गांव खलियावास और आसपास के किसानों की निजी भूमि में भर रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्य सचिव ने भी 31 जुलाई को एनजीटी कोर्ट दिल्ली में दायर एफिडेविट में यह स्वीकार किया था कि यह पानी पुराने नदी क्षेत्र की भूमि पर छोड़ा जा रहा है। इन क्षेत्रों में साहबी, कृष्णावती और दोहन नदियां पहले बहा करती थीं, जो आज निजी किसानों की भूमि है। इस पानी के प्रदूषण स्तर को लेकर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कई बार प्रशासन के सामने रखी समस्या, मगर समाधान नहीं

ब्लॉक समिति सदस्य धीरज यादव ने कहा कि साहबी बैराज के कारण गांव खलियावास व आसपास के इलाकों में हो रही पानी की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। हमने इस समस्या को कई बार प्रशासन के सामने रखा है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया। बैराज से छोड़े गए प्रदूषित पानी ने किसानों की फसलें और गांव के रास्ते तक डुबो दिए हैं। प्रशासन को जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी हल निकालना चाहिए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।

जल्द ही इस पानी को रोका जाएगा : एक्सईएन

सिंचाई विभाग रेवाड़ी के एक्सईएन विजय कुमार ने बताया कि मानसून को देखते हुए और साहबी बैराज में पानी की अधिकता को लेकर, विभागीय मंजूरी के बाद बैराज से बाहर की तरफ पानी निकाला गया है। यह एक अस्थाई प्रक्रिया है ताकि मानसून के समय में अतिरिक्त पानी को संभालने के लिए एक बफर बनाया जा सके। जल्द ही इस पानी को रोका जाएगा और आसपास के गांवों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Rohtak Rewari 05.06.2025 - 05 Jun 2025 - Page 4

समस्या मानसून से पहले सिंचाई विभाग की करतूत, साहबी बैराज से छोड़ दिया गया भारी मात्रा में पानी

खेतों के रास्ते गांवों में पहुंचा दूषित पानी कई गांवों के लोगों के लिए बना आफत

हरिभूमि न्यूज ⏭ धारूहेड़ा

सिंचाई विभाग हर साल मानूसन से पहले सीटीपी का साहबी बैराज में डाला गया पानी आसपास के गांवों की ओर छोड़ देता है। इस बार भी विभाग दो दिन से दूषित पानी छोड़ रहा है, जिसस खेतों के रास्ते यह पानी गांवों की ओर रुख कर गया है। खरखड़ा व खलियावास के साथ-साथ आसपास के गांवों के लिए यह पानी बड़ा खतरा और आफत बन गया है। जागरूक नागरिक प्रकाश खरखड़ा ने सरकार से लेकर एनजीटी तक को पत्र लिखकर विभाग के खिलाफ कार्रवाई व दूषित पानी की समस्या के समाधान की मांग की है।

रेवाड़ी जिले के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का भारी मात्रा में प्रदूषित और जहरीला पानी हर वर्ष बारिश के मौसम से पहले सिंचाई विभाग सहाबी बैराज मसानी से गांवों की तरफ छोड़ देता है। यह पानी सैकड़ों एकड़ निजी कृषि भूमि में भरकर खड़ा हो जाता है, जो वर्तमान में खलियावास व खटावली सहित अन्य गांवों की ओर जा रहा है। इस प्रदूषित पानी से जलवायु प्रदूषण के साथ ही गंभीर समस्या बनने लगी है। लोगों को दूषित माहौल में जीना पड़ रहा है। यह पानी भूमिगत जल में घुलकर उसे भी जहरीला बनाने का काम कर रहा है। जलभराव के कारण किसान फसल बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। जिन किसानों के खेतों में पानी भरा है, वहां खड़ी फसल बबार्द हो रही हैं। पर्यावरण के लिए भी यह पानी बड़ा खतरा साबित हो रहा है।

धारूहेड़ा। खेत के पास एकत्रित दूषित पानी के पास बैठा किसान तथा मसानी बैराज से छोड़ा जा रहा दूषित पानी। फोटो : हरिभूमि

धारूहेड़ा। एक ट्यूबवेल के पास एकत्रित छोड़ा गया पानी। फोटो : हरिभूमि

एचएसपीसीबी की रिपोर्ट में पानी खराब

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टों में बार-बार यह साबित हुआ है कि यह पानी पूरी तरह से प्रदूषित और खतरनाक है। इसके आधार पर इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। इसके बावजूद सिंचाई विभाग इस पानी को खुले में छोड़कर नियमों की उल्लंघना करते हुए ग्रामीणों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है।

एनजीटी के आदेशों की भी उल्लंघना

प्रकाश खरखड़ा ने दूषित पानी की समस्या को लेकर एनजीटी में एक याचिका दायर की हुई है। याचिका पर लगातार सुनवाई हो रही है। एनजीटी की ओर से पूर्व में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिंचाई विभाग को फटकार भी लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद विभाग दूषित पानी की समस्या को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम कर रहा है।

दैनिक भास्कर रेवाड़ी भास्कर 24-06-2025

साहबी बैराज से छोड़ा गया प्रदूषित पानी, खलियावास सहित अन्य गांवों में फसलें डूबीं, ग्रामीणों का प्रदर्शन

भास्कर न्यूज | धारूहेड़ा

दिल्ली–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित साहबी बैराज मसानी की सैकंडों एकड़ भूमि में भरे खड़े प्रदूषित पानी को सिंचाई विभाग द्वारा खुले में छोड़ा जा रहा है जिससे यह प्रदूषित पानी रेवाड़ी के गांव खलियावास समेत आसपास के दर्जनों गांवों में तबाही मचाने लगा है। इसके खिलाफ सोमवार को खलियावास में सरपंच राजकुमार के साथ मिलकर ग्रामीणों ने प्रशासन, जन स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी हाथों में बैनर लेकर विरोध जताने पहुंचे। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन अब भी नींद से नहीं जागा तो वे भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन तक करने को मजबूर होंगे। गांव के लोगों का कहना है कि यह प्रदूषण न केवल उनकी फसलें, बल्कि उनका स्वास्थ्य खराब कर रहा है।

मामला एनजीटी में, 7 जुलाई को हो सकता है फैसला

इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में याचिका दायर की हुई है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है, जिसमें कोर्ट की ओर से एक अहम फैसला आने की संभावना है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि एनजीटी में यह मामला उठने से प्रशासन और संबंधित विभागों को स्थायी समाधान लागू करने के निर्देश दिए जाएंगे।

गांवों में जहर मत बहाओ
जो जमीनें हमें पालती है,
उन्हे जहर मत दो
जब खुले में प्रदूषित पानी
छोड़ना अपराध है
जिम्मेदार अधिकारियों पर
कब होगी कार्यवाही!
किसानो के साथ अन्याय बंद करो!
प्रकाश खरखड़ा 06/23/2025, 18:08

Annexure R-3

OFFICE OF ENGINEER-IN-CHIEF
HARYANA IRRIGATION & WATER RESOURCES DEPARTMENT
PANCHKULA

No. 66 /EIC /LCU/2024 Dated: 01/05/2024

CE/LCU
XEN/LCU
1/5/24

To

Executive Engineer,
Water Services Division No.2,
Irrigation & W.R. Department,
Haryana, Rewari.

Subject: Release of excess water from Massani Barrage-regarding.

Kindly refer to the context cited above.

2. It has come to my notice that Massani Barrage is full to the brim and during rains additional inflows into the Barrage may cause flooding downstream.

You are requested to ensure that excess water in Barrage is released immediately so that a buffer is available during monsoon to accommodate excess water.

Compliance be reported immediately.

(Satbir S. Kadian)
Engineer-in-Chief,
Irrigation & Water Resources Department,
LCU, MICADA & National Programmes,
Haryana, Panchkula.

Copy of the above is forwarded to the following:

1. Chief Engineer, Lift Canal Unit, Irrigation & Water Resources Department, Haryana, Panchkula for information & further necessary action.
2. Superintending Engineer, JLN Water Services Circle, Rewari for information & further necessary action.